

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 107 / 2022

वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) मुख्य कार्यालय नंबर 5 बीसी 110, वरसिद्धि आउटर रिंग रोड सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर ले आउट, कैयान नगर, बँगलोर-560043 शाखा कार्यालय-403-404, चौथा तल, निकट मानसरोवर प्लाजा, मध्यम मार्ग मानसरोवर जयपुर, अधिकृत अधिकारी सोहन लाल

...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरस्वती विधा विहार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरी प्रतिनिधानित पता बांदीकुई जिला दौसा-303313
.....ऋणी
2. मैसर्स सरस्वती विधा विहार समिति, इसके अधिकृत हस्ताक्षरी प्रतिनिधानित बांदीकुई जिला दौसा-303313
...सह ऋणी
3. लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल पता-1041, सिकन्दरन का बास, बांदीकुई जिला दौसा- 303313
...सह ऋणी
4. छगनलाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल पता-1041, सिकन्दरन का बास, बांदीकुई जिला दौसा- 303313
...सह ऋणी
5. मुकुट बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण पता-1186, नया बास, बांदीकुई जिला दौसा-303313
...सह ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री महेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 19.10.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणी संख्या 01 लगायत 05 को 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

.....निरंतर 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति बांदीकुई नगरपालिका के भीतर सम्पत्ति खाता संख्या 784, वार्ड नंबर 23 कुल माप 189 वर्गगज का सभी भाग हिस्सा तथा चौहदी पूर्व रामसहाय हाउस, पश्चिम 10 फीट रोड, उत्तर सम्पत्ति का शेष भाग, दक्षिण चौक उप रजिस्ट्रार कार्यालय बांदीकुई में टाईटल डीड जमा कराने का मेमोरेण्डम छगन पुत्र नारायण लाल तथा लेखराज सैनी पुत्र नारायण लाल द्वारा दस्तावेज से 2039 तिथि 31.3.2017 के रूप में निष्पादित किया गया है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वर्थना फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स थिरुमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा